संख्याः 37/2018–1467/58–2018–60/2006

प्रेषक,

आर0पी0 सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उद्यान अनुभाग **लखनऊ दिनांक 11 जून, 2018**

विषयः माइक्रोइरीगेशन योजनान्तर्गत फर्मों के पंजीकरण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रधानमंत्री कृषि सिचाईं योजना के अन्तर्गत राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति (एस0एल0एस0सी0) की सम्पन्न बैठक दिनांक 10.05.2018 के कार्यवृत्त सं0–723ए/12–5–2018–100(10)/15, दिनांक 24.05.2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजनान्तर्गत उपलब्ध कराये गये विवरण के अनुसार तालिका में उल्लिखित 18 ड्रिप/स्प्रिंकलर माइक्रोइरीगेशन निर्माता फर्मो का पंजीकरण भारत सरकार के आपरेशनल गाइड लाइन्स–2017 में दिये गये निर्देशों एवं राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति (एस0एल0एस0सी0) की बैठक दिनांक 10.05.2018 के कार्यवृत्त दिनांक 24.05.2018 में बिन्दु सं–5 में लिये गये निर्णय के दृष्टिगत रखते हुए निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धो के अधीन आगामी पांच वर्षों 2018–19 से 2022–23 तक की अवधि के लिए फर्मो की अनुमति प्रदान की जाती है :–

क्रम सं.	निर्माता फर्म का नाम	कम्पोनेन्ट
1	मे0 त्यागी इण्डस्ट्रीज, देवास, मध्य प्रदेश।	ड्रिप एवं मिनी/माइक्रो/सेमी परमानेन्ट स्प्रिंकलर
2	मे0 राजेश टेक्नोप्लास्ट, जयपुर, राजस्थान।	इन लाइन ड्रिप एवं स्प्रिंकलर
3	मे0 रामा प्लास्टिक्स, जयपुर, राजस्थान।	स्प्रिंकलर
4	मे0 शक्ति इरीगेशन इण्डिया लि0, धार, मध्य प्रदेश।	ड्रिप एवं मिनी/माइक्रो/सेमी परमानेन्ट स्प्रिंकलर
5	मे0 आर0एम0 ड्रिप एण्ड स्प्रिंकलर सिस्टम लि0, नासिक, महाराष्ट्र।	ड्रिप एवं स्प्रिंकलर
6	मे0 आराम प्लास्टिक्स प्रा.लि., जयपुर, राजस्थान।	स्प्रिंकलर
7	मे0 कीपसेक इण्डस्ट्रीज प्रा.लि., छिन्दवाड़ा, मध्य प्रदेश।	इन लाइन ड्रिप एवं स्प्रिंकलर
8	मे0 तिजारिया पॉली पाइप्स लि0, जयपुर राजस्थान।	स्प्रिंकलर
9	मे0 मेट्रो इरीगेशन प्रा.लि., भिवानी, हरियाणा।	इन लाइन ड्रिप एवं स्प्रिंकलर
10	मे0 जमना इण्डस्ट्रीज, जयपुर राजस्थान।	स्प्रिंकलर

......2/-

11	मे0 के0डी0 इरीगेशन्स प्रा.लि., कानपुर, उत्तर प्रदेश।	स्प्रिंकलर
12	मे0 श्री नारायणी पाइप मैनुफैक्चरिंग कम्पनी, कोलकाता।	स्प्रिंकलर
13	मे0 कोठारी एग्रीटेक प्रा0लि0, सोलापुर, महाराष्ट्र।	ड्रिप एवं स्प्रिंकलर
14	मे0 श्री जगदम्बा इण्डरप्राइजेज, जयपुर, राजस्थान।	स्प्रिंकलर
15	मे0 अरिहन्त एवरग्रीन एग्रो प्लास्ट एण्ड टेक्सटाइल्स, प्रा0लि0, जयपुर, राजस्थान।	ड्रिप एवं स्प्रिंकलर
16	मे0 ई0पी0सी0 इण्डस्ट्रीज लि., नासिक, महाराष्ट्र।	ड्रिप एवं स्प्रिंकलर
17	मे0 विनायक इण्डस्ट्रीज, अलवर, राजस्थान।	स्प्रिंकलर
18	मे0 श्री श्याम इरीगेशन, जयपुर, राजस्थान।	स्प्रिंकलर

3— उक्त के अतिरिक्त मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजनान्तर्गत उपलब्ध कराये गये विवरण के अनुसार कार्यवृत्त दिनांक 24.05.2018 के बिन्दु सं0—6 में लिये गये निर्णय के कम में शासनादेश सं0—2907/58—2017—60/2006, दिनांक 04.10.2017 द्वारा 28 निर्माता फर्मो का 05 वर्ष के लिए किये गये पंजीकरण में से निम्नलिखित 12 निर्माता फर्मो को अतिरिक्त कम्पोनेन्ट लार्ज वाल्यूम(रेनगन)मिनी/माइको/सेमी परामानेन्ट स्प्रिंकलर हेतु अतिरिक्त कम्पोनेट को सम्मिलित किये जाने हेतु पंजीकरण का अनुमोदन प्रदान किया जाता है :—

क0 सं0	पंजीकृत निर्माता फर्म का नाम	पूर्व में स्वीकृत कम्पोनेन्ट्स	सम्मिलित किये जाने वाले अतिरिक्त कम्पोनेन्ट
1	मे0 राजकी इरीगेशन, चरखी, दादरी, हरियाण	पोर्टेबल स्प्रिंकलर	मिनी/माइको/सेमी परमानेन्ट स्प्रिंकलर एवं लार्ज वाल्यूम(रेनगन)
2	मे0 नागार्जुना फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि0, हैदराबाद, तेलंगाना।	ड्रिप पोर्टेबल एवं मिनी/माइको/सेमी परमानेन्ट स्प्रिंकलर	लार्ज वाल्यूम(रेनगन)
3	मे0 हार्वेल एग्यूआ इण्डिया प्रा0लि0, नई दिल्ली।	ड्रिप, पोर्टेबल एवं मिनी/माइको/सेमी परमानेन्ट स्प्रिंकलर	लार्ज वाल्यूम(रेनगन)
4	मे0 भगवती प्लास्टिक एवं पाइप इण्डस्ट्रीज, जयपुर, राजस्थान।	ऑन लाइन ड्रिप पोर्टेबल एवं मिनी/माइको/सेमी परानेन्ट स्प्रिंकलर	लार्ज वाल्यूम(रेनगन)
5	मे0 मोहित इण्डिया, भिवाड़ी अलवर, राजस्थान।	पोर्टेबल एवं मिनी/माइको/सेमी परानेन्ट स्प्रिंकलर	लार्ज वाल्यूम(रेनगन)

6	मे0 वाल्यूमिनस एनर्जी इण्डिया प्रा0लि0, जयपुर, राजस्थान।	पोर्टेबल स्प्रिंकलर	मिनी / माइक्रो / सेमी परमानेन्ट स्प्रिंकलर एवं लार्ज वाल्यूम(रेनगन)
7	मे0 वेंकटेश इरीगेशन सिस्टम्स प्रा0लि0, अजमेर, राजस्थान।	ऑन लाइन ड्रिप, पोर्टेबल एवं मिनी / माइक्रो / सेमी परानेन्ट स्प्रिंकलर	लार्ज वाल्यूम(रेनगन)
8	मे0 अंकित इरीगेशन प्रा0लि0, जयपुर, राजस्थान।	पोर्टेबल स्प्रिंकलर	मिनी / माइक्रो / सेमी परमानेन्ट स्प्रिंकलर एवं लार्ज वाल्यूम(रेनगन)
9	मे0 फिनोलेक्स प्लासन इण्डस्ट्रीज प्रा0लि0 पुणे, महाराष्ट्र।	ड्रिप, पोर्टेबल एवं मिनी / माइक्रो / सेमी परानेन्ट स्प्रिंकलर	लार्ज वाल्यूम(रेनगन)
10	मे0 राठी पॉलीप्लास्ट प्रा0लि0, जयपुर, राजस्थान।	ऑन लाइन ड्रिप, पोर्टेबल एवं मिनी / माइक्रो / सेमी परानेन्ट स्प्रिंकलर	लार्ज वाल्यूम(रेनगन)
11	मे0 भारत ड्रिप इरीगेशन एण्ड एग्रो0 जयपुर, राजस्थान।	ड्रिप, पोर्टेबल एवं मिनी / माइक्रो / सेमी परानेन्ट स्प्रिंकलर	लार्ज वाल्यूम(रेनगन)
12	मे0 विशाखा इरीगेशन प्रा0लि0, अहमदाबाद, गुजराज।	ड्रिप, पोर्टेबल एवं मिनी / माइक्रो / सेमी परानेन्ट स्प्रिंकलर	लार्ज वाल्यूम(रेनगन)

4— प्रस्तर–3 में उल्लिलिखित फर्मो को अतिरिक्त कम्पोनेन्ट 05 वर्षो के लिए सम्मिलित करने की सहमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि निर्माता फर्म मैनुफेक्चर्स हो, ट्रेडर्स नहीं।

5— निदेशक, मिशन / उद्यान द्वारा यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि भारत सरकार द्वारा जारी माइक्रोइरीगेशन दिशा–निर्देश में उल्लिखित सभी पहलुओं को फर्में सुनिश्चित करती है। उक्त फर्मो से वांछित सभी औपचारिकताएं पूर्ण कराने का उत्तरदायित्व निदेशक, मिशन / उद्यान एवं सम्बन्धित जनपदीय अधिकारी का होगा।

6— उक्त फर्म द्वारा कराये गये कार्यो की गुणवत्ता सुनिश्चित की जायेगी। इस फर्म द्वारा सम्पन्नित कार्य एवं गुणवत्ता संतोषजनक न पाये जाने पर इसका पंजीकरण किसी भी समय समाप्त कर दिया जायेगा।

7— उक्त फर्म का पंजीकरण भारत सरकार द्वारा संचालित माइक्रोइरीगेशन योजना के नियमों / दिशा–निर्देशों के अधीन किया जायेगा।

8— यदि फर्मो के चयन में कोई प्रतिकूल तथ्य आते है तो उसके लिए निदेशक, उद्यान उत्तरदायी होंगे।

कृपया उपरोक्तानुसार अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(आर0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

......4/-

संख्या–37/2018–1467(1)/58–2018 तददिनांक–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2– निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3– कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
4– कृषि अनुभाग–5, उत्तर प्रदेश शासन।
5– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(इन्दुबाला कटियार)
उप सचिव।

निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तर प्रदेश

उद्यान भवन, 2-सप्रू मार्ग, लखनऊ - 226001
☎ 0522-4072539,4044414 Fax: 0522-2621382, E-mail : nmmiup@gmail.com

पत्रांक : 172 /MI-14D/PMKSY/2018-19 दिनांक : 18 जून, 2018

प्रतिलिपि : प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के उपघटक पर ड्रॉप मोर क्रॉप (माइक्रोइरीगेशन) के अन्तर्गत पंजीकृत निर्माता फर्मों से सम्बन्धित उपरोक्त शासनादेश सं. 37/2018-1467/58-2018-60/2006 दिनांक 11.06.2018 की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. संयुक्त सचिव (आर.एफ.एस.) भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
2. कार्यकारी निदेशक, एन.सी.पी.ए.एच., 10वीं मंजिल इण्टरनेशनल ट्रेड टॉवर, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली।
3. प्रमुख सचिव, कृषि, उत्तर प्रदेश शासन।
4. प्रमुख सचिव, गन्ना एवं चीनी उद्योग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. प्रमुख सचिव, लघु सिंचाई एवं भू-गर्भ जल, उत्तर प्रदेश शासन।
6. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जनपद स्तरीय क्रियान्वयन समिति (डी.एल.आई.सी.), पी.एम.के.एस.वाई. उत्तर प्रदेश।
8. विशेष सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तर प्रदेश शासन।
9. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, कृषि भवन, लखनऊ।
10. आयुक्त, गन्ना एवं चीनी उद्योग, 17 न्यू बेरी रोड, डालीबाग, लखनऊ।
11. मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ।
12. अपर कृषि निदेशक (सामान्य)/अपर नोडल अधिकारी, कृषि भवन, लखनऊ।
13. प्रधान वैज्ञानिक, पी.एफ.डी.सी., केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, रहमान खेड़ा, लखनऊ।
14. संयुक्त निदेशक/मुख्य उद्यान विशेषज्ञ/सिट्रस विशेषज्ञ, औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र, बस्ती/सहारनपुर/मलिहाबाद (लखनऊ)/खुसरूबाग (इलाहाबाद) एवं बरूआसागर (झाँसी)।
15. सहायक निदेशक (समन्वय एवं कम्प्यूटर) को इस अनुरोध से प्रेषित कि कृपया उपरोक्त पंजीकृत फर्मों को संलग्न विवरण के अनुसार पोर्टल पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
16. समस्त उप निदेशक उद्यान, उत्तर प्रदेश को अनुपालनार्थ।
17. समस्त जिला उद्यान अधिकारी/अधीक्षक राजकीय उद्यान/आलू एवं शाकभाजी विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश को अनुपालनार्थ।
18. समस्त पंजीकृत निर्माता फर्म को निदेशालय के पत्रांक 152 दिनांक 31.08.2017 द्वारा प्रेषित दिशानिर्देश में उल्लिखित दिशानिर्देशों के अनुसार निर्माता फर्मों के दायित्वों एवं उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 11.06.2018 में वर्णित दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित करते हुए गुणवत्तायुक्त माइक्रोइरीगेशन पद्धति की स्थापना अपने तकनीकी दिशानिर्देशन में कराना सुनिश्चित करें।

(राघवेन्द्र प्रताप सिंह)
निदेशक